

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
05/2021

तारीख दायरा
21.01.2021

तारीख फैसला
18.02.2026

पीठासीन अधिकारी— श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1— श्रीमति राजेश शर्मा पुत्री स्व0 बृजमोहन जी पत्नी रविकान्त जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 13 लघु औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान पत्रिका रोड, कोटा जिला कोटा (वादी)

बनाम

- 1— देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व0 बृजमोहन जी
2— राजेन्द्र कुमा शर्मा पुत्र स्व0 बृजमोहन जी जातिगण ब्राह्मण निवासीगण न्यू सिविल लाइन्स, सहकार भवन के सामने, कोटा रोड, बांरा जिला बांरा।
3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0।

(प्रतिवादीगण)

वादीया की ओर से —श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 1 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 2 रकबा 1.10 है0, खसरा नं0 3 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 4 रकबा 0.49 है0, खसरा नं0 5 रकबा 1.12 है0, खसरा नं0 6 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 7 रकबा 0.40 है0 खसरा नं0 8 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 9 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 11 रकबा 0.92 है0, खसरा नं0 12 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 15 रकबा 1.65 है0, खसरा नं0 249 रकबा 0.36 है0 कुल 13 किता रकबा 8.06 है0 भूमि स्थित है।

पत्रावली में बाद सुनवाई, साक्ष्य, बहस इत्यादि पूर्ण होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2024 को वाद में प्राथमिक डिक्री जारी किया जाकर तहसीलदार दीगोद से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये। पत्रावली में तहसीलदार दीगोद से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अधिवक्ता वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर करते हुए वाद में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम निर्णय/डिक्री पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।



पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव पर वकील पक्षकारान की सहमति होने पर वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किया जाता है जो इस प्रकार है—

ग्राम हनोटिया

1—

नाम काश्तकार	खसरा	रकबा	दिशा	लगान
राजेश शर्मा पुत्री बृजमोहन जाति ब्राह्मण नि० मकान न० 13 औद्योगिक क्षेत्र कोटा	15	1.66	—	—
	12	0.53	—	—
	5	0.49	दक्षिण	—
कुल 3 किता		2.68	—	—

2—

नाम काश्तकार	खसरा	रकबा	दिशा	लगान
देवेन्द्र कुमार शर्मा, राजेन्द्र कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी सिविल लाइन्स सहकार भवन के सामने कोटा	1	0.33	—	—
	2	1.10	—	—
	3	0.26	—	—
	4	0.49	—	—
	5	0.63	उत्तर	—
	6	0.31	—	—
	7	0.40	—	—
	8	0.52	—	—
	9	0.03	—	—
	11	0.92	—	—
	249	0.36	—	—
कुल 11 किता		5.35	—	—

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर अंतिम डिक्री मुर्तिब की जावें। विवादित आराजीयात पर रहनभार दर्ज हो तो यथावत रहेगा। यदि राजस्व शुल्क बनता है तो नियमानुसार वसूल किया जावें। तहसीलदार दीगोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

डिक्री मुकदमा
(आ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा राज0

पीठासीन अधिकारी -श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1- श्रीमति राजेश शर्मा पुत्री स्व0 बृजमोहन जी पत्नी रविकान्त जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 13 लघु औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान पत्रिका रोड, कोटा जिला कोटा (वादी)

बनाम

- 1- देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व0 बृजमोहन जी
2- राजेन्द्र कुमा शर्मा पुत्र स्व0 बृजमोहन जी जातिगण ब्राह्मण निवासीगण न्यू सिविल लाइन्स, सहकार भवन के सामने, कोटा रोड, बांरा जिला बांरा।
3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0।

(प्रतिवादीगण)

वादीया की ओर से -श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

मिसल नम्बर -05/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू बहाजिरी श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री हेमन्त कुमार दाधिच एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :- वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

ग्राम हनोतिया

1-

नाम काश्तकार	खसरा	रकबा	दिशा	लगान
राजेश शर्मा पुत्री बृजमोहन जाति ब्राह्मण नि0 मकान न0 13 औद्योगिक क्षेत्र कोटा	15	1.66	-	-
	12	0.53	-	-
	5	0.49	दक्षिण	-
कुल 3 किता		2.68	-	-

नाम काश्तकार	खसरा	रकबा	दिशा	लगान
देवेन्द्र कुमार शर्मा, राजेन्द्र कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी सिविल लाइन्स सहकार भवन के सामने कोटा	1	0.33	—	—
	2	1.10	—	—
	3	0.26	—	—
	4	0.49	—	—
	5	0.63	उत्तर	—
	6	0.31	—	—
	7	0.40	—	—
	8	0.52	—	—
	9	0.03	—	—
	11	0.92	—	—
	249	0.36	—	—
कुल 11 किता		5.35	—	—

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर अंतिम डिक्री मुर्तिब की जावें। विवादित आराजीयात पर रहनभार दर्ज हो तो यथावत रहेगा। यदि राजस्व शुल्क बनता है तो नियमानुसार वसूल किया जावें।

डिक्री मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 18.02.2026 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्ई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0